जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
163/201

अपील सूचना अधिकार संख्या 163/2015 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

26–12–2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 21.09.15 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर से सूचनांए चाही गयी थी जो उनके द्वारा जानबूझकर उपलब्ध नही करवाई गई है, जबकि चाही गई सूचनांए जनहित की है, जो उसे उपलब्ध करवाए जाने का आदेश दिया जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

मैने अपीलार्थी के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 21.09.2015 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थी:–

जन हितार्थ सूचना

1. श्रीगंगानगर के 50 वार्डो में से प्रत्येक मकान को चारदीवारी के आगे सामान्य रूप से रेम्प की लंबाई–उंचाई–मोटाई–चाड़ाई जो होनी चाहिए या नियमों में प्राविधित हे उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि प्रत्येक वार्ड की, जिनके आगे रेम्प बने हुए है।
2. जनवरी 2013 से अगस्त 2015 तक जो मकान नये बने है एवं जिनका नक्शा नगरपरिषद द्वारा स्वीकृत किया है, उनकी चैकिंग की जुम्मेवारी सहायक अभियन्ता व कनिष्ट अभियंतो की होती है। प्रत्येक वार्ड के सहायक अभियन्ता व कनिष्ट अभियन्ता द्वारा की गई चैकिंग व रैम्प जो बनाये गये है उनकी लम्बाई, चौड़ाई व उंचाई व मोटाई की सूचना। ए.ईन. व जै.ईन. का शपथ पत्र कि निर्मित चार दीवारी के आगे का रेम्प आवागमन में बाधक नही है व नियमानुसर है व यातायात के दृष्टिकोण से दुर्घटना नही हो सकती। प्रत्येक वार्ड के मकान की चार दीवारी के आगे बने रेम्प की सूचना।
3. प्रत्येक दार्ड के सहायक अभियन्ता व कनिष्ट अभियन्ता का नाम व पद की सूचना जिनके क्षेत्राधिकार में प्रत्येक वार्ड आता है।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर समन्वयक, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर ने आयुक्त, नगर परिषद श्रीगंगानगर को लिखा गया है कि प्रार्थी श्री राधेश्याम गोयल द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रस्तुत प्रा0 पत्र दिनांक 21.09.15 नगरपरिषद विभाग से संबंधित होने के कारण पत्र संख्या 115 दिनांक 24.09.15 के द्वारा भिजवाया गया था लेकिन आप द्वारा समय रहते प्रार्थी को सूचना उपलब्ध न करवाने के कारण प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है जिसकी सुनवाई के लिए इस न्यायालय में उपस्थित होने के लिए उन्हें लिखा जाकर प्रतिलिपि जरिये क्रमांक 306 दि0 03.11.15 से इस कार्यालय को प्रेषित की है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
163/2015

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांए जिला कलक्टर कार्यालय से संबंधित न होकर बल्कि नगरपरिषद श्रीगंगानगर से संबंधित है। इसलिए उसका प्रा0 पत्र दिनांक 21.09.15, समन्वयक, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत जरिये क्रमांक 115 दिनांक 24.09.15 से आयुक्त नगरपरिषद, श्रीगंगानगर को अन्तरित किया जाकर अपीलार्थी को भी सूचित कर दिया था। इसलिए सूचना उपलब्ध न होने पर अपीलार्थी को आयुक्त नगरपरिषद, श्रीगंगानगर के विरूद्ध उनके सक्षम अपील अधिकारी के समक्ष अपील करनी चाहिए थी।

चूंकि निम्न हस्ताक्षरकर्ता को आयुक्त नगर परिष्द, श्रीगंगानगर के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है और यदि आयुक्त नगर परिषद, श्रीगंगानगर द्वारा सूचनांए उपलब्ध नही करवाई गई है और यदि उनसे प्राप्त सूचनांओ से असन्तुष्ट हो तो उनके सक्षम अपील अधिकारी के समक्ष ही अपील करनी चाहिए। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर श्रीगंगानगर व आयुक्त नगरपरिषद श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 26.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)

जिला कलेक्टर

श्रीगंगानगर